न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

प्रा0पत्र 41/2019

प्रमोद गोयल आ0 कजोड़ीलाल जाति महाजन निवासी अकलेरा, जिला झालावाड़

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा जिला झालावाड़

रेस्पोडेन्ट

दिनांक हुक्म	कार्यवाही
20.06.19	यह अपील विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार अकलेरा के आदेश दिनांक 11.04.19 जिससे ग्राम खारपा का नामा0 सं0 728 खारिज किया गया है से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया नामा0 सं0 726, 727 से ग्राम खरपा के ख0न0 592/77 की आराजी औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित एवं रास्ते हेतु राज्य सरकार में समर्पित है। अपीलान्ट द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है न कि कृषि भूमि क्रय की गई है। उक्त भूमि नामा0 सं0 726 से औद्योगिक प्रयोजनार्थ पूर्व में ही दर्ज हो चुकी है जो कि अब कृषि भूमि न होकर अकृषि योग्य भूमि है, जिसका नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक किया जाना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नही मानते हुए खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नही होता है, उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया, अपील अपीलान्ट चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय आज खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया। 20/6/19 अति० कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ (राज०)

न्यायालय ए.डी.एम. झालावाड़ (राज.)